सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जिला विदिशा में सिरोंज में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) और जिला सिहोर में बुधनी में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.) की स्थापना संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया हैं। इन ट्रांसमीटरों को शीघ्र ही चालू किए जाने की आशा है।

एयर इंडिया द्वारा हज संबंधी यातायात पर किया गया व्यय

*394. **श्री आस मोहम्मद:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान हज संबंधी यातायात पर एयर इंडिया द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) हज संबंधी यातायात से एयर इंडिया द्वारा प्राप्त आय अथवा एयर इंडिया को देय राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हज संबंधी यातायात पर वर्ष-वार कितना निवल लाभ अथवा हानि हुई;

(घ) प्रत्येक हज तीर्थ यात्री से वर्ष-वार कितना निवल लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) प्रत्येक हज तीर्थ यात्री के मामले में हज एयर चार्टर किराये पर निवल लाभ/हानि का प्रतिशत क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के वहन के संबंध में एयर इंडिया द्वारा किया गया व्यय प्राप्त राशि, लाभ/हानि और लाभ/हानि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

वर्ष	एयर इंडिया द्वारा किया गया व्यय	एयर इंडिया द्वारा प्राप्त राशि	निवल लाभ/हानि	प्रति हज तीर्थ यात्री निवल लाभ/हानि	चार्टर किराये पर प्रति तीर्थ यात्री लाभ/हानि का प्रतिशत
	लाख	लाख			
1992	1704.08	1704.40	0.32 लाख (लाभ)	रु० 3 (लाभ)	0.02 प्रतिशत (लाभ)
1993	3743.00	3682.80	60.20 (हानि)	291 रु० (हानि)	1.6 प्रतिशत (हानि)

वर्ष 1994 के लिये एयर इंडिया द्वारा 3371 लाख रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है, सऊदी अरेबियन प्राधिकारियों को देय रायल्टी का अभी निर्धारण किया जाना है और इसकी अदायगी की जानी हैं। सरकार से अंतरिम भुगतान के रूप में सहायता भुगतान सहित अब तक प्राप्त कुल राजस्व की राशि 3249 लाख रुपये हैं। 1994 के लिये लाभ/हानि के आंकड़े इस अवस्था में नहीं बताये जा सकते।

Competition between Boeing and Airbus for purchase of aircraft by Air India

*395. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Boeing and Airbus are competing to bag the Air India's multi-million dollar order;

(b) if so, whether any trials of both the aircrafts had been conducted by the Air India and it had assessed their advantages and drawbacks and evaluated, which aircraft is the best;

(c) the final decision taken by the Air India/his Ministry to acquire either of the aircrafts; and

(d) the source for funding this purchase?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM

NABI AZAD): (a) to (d) Recently, Air India has undertaken a techno-economic study for selecting the Medium Capacity Long Range (MCLR) aircaft for induction into the fleet of Air India. Aircraft from Boeing and Airbus Industries are being evaluated; it is too early to identify sources of funding this aircraft purchase.

Promotion policy in Air India

*396. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what is the promotional policy for officers working in Air India;

(b) the details of all officers promoted to higher grade on the basis of 'B" grade annual reports for the last three years;

(c) whether the same concession is given to SC/ST officers; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Promotion Policy for officers followed by Air India lays emphasis on promotions being based on merit. For objective assessment of merit, a quantitative assessment system with a total of 100 marks has been devised. A maximum of 60 marks are for performance appraisal reports (on the basis of Reports for 3 years) and 40 marks are earmarked for personal interview. An officer has to obtain 70 marks for becoming eligible for promotion.

In the case of those officers who have only one or two annual performance appraisal reports at the time of consideration a weightage system has been devised to determine the total marks to be assigned for appraisal reports.

(b) During the last 3 years no officer with "B" grade annual appraisal report has been promoted.

(c) and (d) Do not arise.

दृश्य प्रचार माध्यम में महिलाओं का अशिष्ट रूपण

*397. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हिन्दी फिल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं को निरन्तर अशिष्ट तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड को इस संदर्भ में कड़ा रूख अपनाने के लिये कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986 का बहुत अधिक उल्लघंन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इस संबन्ध में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) यह सत्य नहीं है कि देश में हिन्दी फिल्मों तथा विज्ञापनों में महिलाओं को नियमित रूप से अशोभनीय रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(ख) सभी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है । बोर्ड फिल्म को चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उनके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रमाणित करता है । मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि विवरण में संलग्न है (नीचे देखिये) । बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणन हेतु सरकार